HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 217/2026

1. Nitesh Kumar Choubdar Son of Shri Poonam Chand Choubdar Man Singh, Aged About 35 Years, R/o C-63, Krishna Niwas, Gramin Police Lines Road, Lajpat Nagar I, Borkheda Kota District Kota (Raj.)
2. Smt. Renu Kumari W/o Nitesh Kumar Choubdar, Aged About 37 Years, R/o C-63, Krishna Niwas, Gramin Police Lines Road, Lajpat Nagar I, Borkheda Kota District Kota (Raj.)
3. Shrikant Singh Choudhary S/o Shri Surender Singh Choudhary, R/o C-63, Krishna Niwas, Gramin Police Lines Road, Lajpat Nagar I, Borkheda Kota District Kota (Raj.)

----Accused/Petitioners

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

2. Omprakash Sahu Son of Shri Gorishankar, Resident of 195, Ejaj Nagar, Chhabra, District Baran (Raj.)

----Complainant/Respondents

For Petitioner(s)	: Mr. Pawan Kumar Verma, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Vijay Singh Yadav, Addl. GA. With Mr. Gaurav Gupta, Asst. GA
For Complainant(s)	: Mr. Aman Ali, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

27/02/2026

1. याचीगण–अभियुक्तगण की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**4/2026** पुलिस थाना– **छबड़ा** जिला– **बारां**, अपराध अंतर्गत धारा–**318(4), 316(2) भारतीय न्याय संहिता** एवं उससे उद्भूत समस्त कार्यवाही को रद्द एवं अपास्त किए जाने की

प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है, साथ ही **स्थगन प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत किया गया है।

2. दो सप्ताह की वापसी के साथ अयाचीगण को नोटिस जारी किए जावें, विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता अयाची संख्या–01 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी श्री अमन अली अयाची संख्या–02 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।

3. विद्वान् अधिवक्ता याचीगण–अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों से मामला पैसों के लेनदेन का होने से पूर्णतया दीवानी प्रकृति का होना प्रमाणित होता है, एवं परिवादी द्वारा धारा 138 एन.आई.एक्ट में याचीगण के विरुद्ध पृथक से कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है, उनका कथन है कि याचीगण–अभियुक्तगण अन्वेषण में भाग लेने के लिए तैयार एवं तत्पर हैं, किन्तु पुलिस उन्हें जबरन गिरफ्तार करने पर आमादा है, अतः याचीगण–अभियुक्तगण को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जावे। विद्वान अधिवक्ता याचीगण–अभियुक्तगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गयेः–

1- 2025 Cr.L.R. (SC) 728
Ashok Kumar Jain V/s State of Gujarat & Anr.
2- 2025 Cr.L.R. (SC) 688
Rikhab Birani & Anr. V/s State of Uttar Pradesh & Anr.

4. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने संयुक्त रूप से अंतरिम सुरक्षा प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रकरण में याचीगण–अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को बदनियती से उसकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है एवं चेक भी डिसऑनर करा दिया गया है, अतः याचीगण–अभियुक्तगण की अंतरिम सुरक्षा प्रदान किए जाने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जावे।

5. मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

6. हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता याचीगण–अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों आदि को दृष्टिगत रखते हुए याचीगण–अभियुक्तगण को न्यायहित में आदेश दिया जाता है कि यदि वे दिनांक **10–03–2026** को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में भाग लें तो उनके विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **4/2026** के संदर्भ में आगामी तिथि तक कोई बलपूर्वक कार्यवाही (**No Coercive Action**) नहीं की जावे, याचीगण–अभियुक्तगण के उक्त तिथि तक अनुसंधान हेतु उपस्थित नहीं होने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

7. अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान कर आगामी तिथि पर प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे।

8. प्रकरण **2 सप्ताह** पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(BHUWAN GOYAL),J

RAHUL KUMAR KHANDELWAL /32